

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री संदीप
सिंह



पैरोकार हे०का०
मनोहर लाल

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के अभियुक्तगण को मा० न्यायालय द्वारा 03 वर्ष सश्रम कारावास व 22,000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 26.04.2004 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को लाठी डण्डे से मारना पीटना इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मु०अ०सं० 28/04 धारा 323/504/325/304 भादवि थाना व जनपद अमेठी पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 23.09.2025 को माननीय न्यायालय एसजे-03/गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण को **03 वर्ष का साधारण कारावास तथा 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को **03 वर्ष का साधारण कारावास**।
- ☐ अभियुक्त को **22,000/- रुपये अर्थदण्ड**, अर्थदण्ड न अदा करने पर **02 माह अतिरिक्त कारावास**।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- कल्लूपुत्र श्रीनाथ निवासी बियसीया थाना व जनपद अमेठी।
- पप्पू पुत्र श्रीनाथ निवासी बियसीया थाना व जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी